XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–60/2002

(धारा–48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत)

श्रीमती नुनु देवी, पति–बाबू लाल मंडल, साकिन–खूंट धाट, थाना–बड़हरा कोठी, जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदिका

बनाम्

1. कलीमउद्दीन
2. सुलेमान
3. उस्मान

तीनों के पिता–स्व0 बिजो मियाँ

4. गोदनारायण मंडल, पिता–स्व0 संतलाल मंडल
5. जमुना प्रसाद मंडल, पिता–स्वरूप लाल मंडल
6. नागेश्वर मंडल, पिता–स्व0 झगरू मंडल
7. चमक लाल मंडल, पिता–कोकन मंडल
8. विष्णुदेव मंडल, पिता–स्व0 रामेश्वर मंडल
9. प्रेमलाल मंडल, पिता–स्व0 पलकधारी मंडल,
10. अर्जुन मंडल, पिता–'स्व0 एतवारी मंडल
11. कृत नारायण मंडल, पिता–स्व0 टुनाई मंडल

क्रमांक–1 से 3 का साकिन–दरगाहा, थाना–रूपौली, जिला– पूर्णियाँ
क्रमांक–4 से 11 का साकिन–खूंट धाट, थाना–बड़हरा कोठी, जिला– पूर्णियाँ.....

विपक्षीगण

आदेश

आवेदिका भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–40/1996 में दिनांक 04.02.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर की है। आवेदिका का कथन है कि मौजा–पटराहा, थाना नं0–174, खाता संख्या–328, खेसरा संख्या–1042, 1043, 1044 एवं 1047,रकवा 4.33 एकड़ जमीन के भूस्वामी स्व0 बिजो मियाँ थे और वह वर्ष 1970 से उपरोक्त जमीन पर बटाईदारी कर रही है। भूस्वामी द्वारा जमीन खाली करने की धमकी देने के बाद आवेदिका ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में धारा–48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत वाद संख्या–40/1996 दायर की। निम्न न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई कर आवेदिका को दिनांक 29.02.2000 ई0 को बटाईदार धोषित करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध भूस्वामी ने इस न्यायालय में अपील किया। इस न्यायालय द्वारा आवेदिका को सूचित किये बिना ही वाद को पुनः भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में सुनवाई हेतु वापस भेजा गया। निम्न न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी, बड़हरा कोठी की अध्यक्षता में समझौता बोर्ड का गठन किया गया। समझौता

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

बोर्ड द्वारा न तो स्थल जाँच किया गया और न हीं किसी साक्ष्य से कुछ पूछा गया और एक गलत प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। निम्न न्यायालय में आवेदिका द्वारा आपत्ति आवेदन को भी नजर अन्दाज कर आवेदिका के बटाईदारी दावा को अमान्य किया गया। फलस्वरूप आवेदिका निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर की और माननीय उच्च न्यायालय के निदेश पर इस न्यायालय में अपील दरायर की है। उल्लेखनीय है कि जिस समय प्रश्नगत जमीन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उसी दौरान वर्ष 1998 ई0 में भूस्वामी ने प्रश्नगत जमीन विपक्षी संख्या–4 से 11 के हाथ बेच दिया, जो अवैध है। विपक्षी संख्या–4 से 11 जब वर्ष 1998 ई0 में जमीन खरीदा है, फिर 14–15 वर्षो से किस प्रकार प्रश्नगत जमीन पर खेती कर रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा भी इस कथन को स्वीकार किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व में आवेदिका के बटाईदारी हक को सही बताया गया था, पुनः बाद में इसे अमान्य किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल नहीं है। अतः आवेदिका निवेदन करती है कि वाद की सुनवाई कर उसे बटाई हक प्रदान करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

निर्धारित तिथि दिनांक 26.03.2012 को सुनवाई की गयी। विपक्षी के द्वारा पूर्व में अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिनांक 30.09.2011 को न्यायालय द्वारा दिया गया। सुनवाई के समय उपस्थित विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को इस वाद में उनके तरफ से प्रतिउत्तर अभीतक दाखिल नहीं होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं था। वे इस वाद में प्रतिउत्तर दायर करने हेतु इच्छुक भी नहीं थे। उनका कथन है कि इस वाद में विवादित जमीन पर आवेदक का दखल ही नहीं है, इसलिये यह वाद मानने योग्य नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित आवेदन में दिये गये बातों को दोहराया गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदिका के आवेदन को स्वीकृत करते हुए पुनः निम्न न्यायालय को सुनवाई एवं स्थल जाँचकर आदेश पारित करने का आदेश भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा को दिया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ